|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cbec-newlogo | | |
| **केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, सीमा शुल्‍क एवं सेवाकर के आयुक्‍त का कार्यालय**  **एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431030** |

**vआदेश**

आयुक्‍त/अपर आयुक्‍त/संयुक्‍त आयुक्‍त/विभाग/कार्यालय प्रमुख, केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, सीमा शुल्‍क तथा सेवाकर आयुक्‍तालय, औरंगाबाद को उन्‍हें वित्‍तीय शक्तियॉं प्रत्‍यायोजन नियम 1978 अनुसूची ‘V’ के परिशिष्‍ट के साथ पठित क्र. सं. …………………………………………………………. के अनुसार उनमें निहित शक्तियों को प्रत्‍यायोजन करते हुए …………………………………………………… ………………………..……………………….……………………………..……………………….…………………………… के लिए रू. …………..… (रूपये …………..……………..……………..……………..…) का व्‍यय अवगत कराने की मंजूरी को मैं प्रतिवेदित करता हॅूं I उसमें आये खर्चे की वित्‍तीय वर्ष 20 - 20 के अनुदान खाता संख्‍या 2038 संघ उत्‍पाद शुल्‍क बी.2(1)( )(5)( ) कार्यालय व्‍यय (**OEM HQ/MINW/INFR HQ/RRT HQR/PPS HQ ADVT. & PUBLICITY**) के नाम में डाला जायें I

फा.सं.: औरंगाबाद, दिनांक :

प्रशासनिक अधिकारी

केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, सीमा शुल्‍क तथा सेवाकर

औरंगाबाद

प्रतिलिपिः

1. मुख्‍य लेखा अधिकारी, के उ शुल्‍क, सी शु तथा सेवाकर, औरंगाबाद (द्वितीयक में) I2. वेतन तथा लेखा अधिकारी, के उ शुल्‍क, सी शु तथा सेवाकर, औरंगाबाद I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | बिल संख्‍या/तारीख | संगठन का नाम | राशि रूपये |
|  |  |  |  |